विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1690 दिनांक :30-5-2016

प्रति,

प्राचार्य,
बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर
कनवाटी–जिला नीमच

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियक्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/84,दिनांक 20.04.2016

शिक्षा सत्र 2016–17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016–17 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.एससी.बी.एड.–प्रथम वर्ष (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)	50

शर्ते :–1. कोड 28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन कराया जावे।
2 पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या विषयवार बढ़ायी जावे एवं प्रयोगशाला को अपग्रेड किया जावे।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार रू..25,000/– की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें।

उपरोक्त शर्तो की पूर्ति दो माह में पूर्ण कर अभिलेख विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

नोट :–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के रिकगनाईज आर्डर F.No. WRC/APP3165/B.Sc.B.Ed/246th&247th/2016/164220,Date 08-04-2016 आधार पर प्रदान की गई है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धता/2016/1700 दिनांक : 30.5.2016

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. क्षेत्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स,भोपाल–462002,
4. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।

30/5/16

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/164। दिनांक :- 27.5.2016

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- बालकवि बैरागी टीचर एज्यूकेशन रिसर्च सेंटर,नीमच

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) बी.एससी.बी.एड. (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. डॉ.आर.सी.वर्मा - आचार्य,वनस्पति अ.शा.,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. डॉ.आर.के.जैन - आचार्य, पं.ज.ने.व्यव.प्रबंध संस्थान,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. डॉ.सुधीर जैन - उपाचार्य,माइक्रोबायलॉजी अ.शा.वि.वि.,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरुप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

KAMLESH

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)